राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 5 जनवरी, 1981

क्रमांक **2254-ज-I-80/468**.—श्री ईशर सिंह, पुत्र श्री हरी सिंह, गांव तलाकौर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला को दिनांक 9 मई, 1975 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(1) तथा 3 (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ईशर सिंह को मु्बलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6088-र-III-68/4581, दिनांक 4 दिसम्बर, 1968 तथा 5041-र-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती रामदेवी के नाम खरीफ, 1975 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2298-ज(I)-80/472**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री रिछपाल सिंह, पुत्र श्री होरा सिंह, गांव हसान, तहसील व जिला भिवानी, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2300-ज(I)-80/478**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हर नारायण, पुत्र श्री जय चन्द, गांव बलाली, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2312-ज-I-80/482**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री चरण सिंह, पुत्र श्री भोला सिंह, गांव बसन्तपुरा बराड़ा, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी 1974 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 7 जनवरी, 1981

क्रमांक **2200-ज-II-80/888**.—श्री ईश राम, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव अभयपुर, तहसील व जिला गुड़गांव को दिनांक 1 नवम्बर, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ईश राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3089-स(4)-77/3242, दिनांक 1 फरवरी, 1978 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राम प्यारी के नाम खरीफ 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2159-ज(II)-80/892**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गयी फसल तथा राशि एवं सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गयी	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु०
1	सोनीपत	श्री [illegible] सिंह, पुत्र श्री सुरजीत सिंह [illegible]	फरमाना	सोनीपत	खरीफ, 1974 से	150
					रबी, 1980 से	300

1	2	3	4	5	6	7
						रु०
2	सोनीपत	श्री कर्ण सिंह, पुत्र श्री सुरत सिंह	सहेरी	सोनीपत	रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक	150
					रबी, 1980 से	300

क्रमांक **2202-ज(II)-80/896.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) 1(ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हरी चन्द, पुत्र श्री रामजी लाल, गांव डहर, तहसील पानीपत, जिला करनाल को खरीफ, 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2166-ज(II)-80/900.**—श्री बन्टी राम, पुत्र श्री सुन्डिया, गांव कलोई, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 19 अप्रैल, 1980, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बन्टी राम की मुल्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1273-र-(III)-70/9666, दिनांक 29 अप्रैल, 1970 तथा अ.स. क्रमांक 5041-र-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती घोघड़ी के नाम खरीफ 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2157-ज(II)-80/905.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	सोनीपत	श्री जोगी राम, पुत्र श्री निहाल सिंह	भावड़	गोहाना	रबी, 1977	150
					रबी, 1980	300
2	सोनीपत	श्री दलेल सिंह, पुत्र श्री सुभाष चन्द बराणी	डी. ए. 35/ गोहाना रोड़, सोनीपत	सोनीपत	खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक	150
					रबी, 1980	300

क्रमांक **2258-ज(II)-80/909.**—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 988-ज(II)-80/30471, दिनांक 28 अगस्त, 1980 में श्री किशन सिंह के नाम की बजाए श्री बिशन सिंह पढ़ा जाये।

दिनांक 9 जनवरी, 1981

क्रमांक **2392-ज(I)-80/1179.**—श्री तुलसी दास, पुत्र श्री शिवु, गांव रसूलपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की युद्ध जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 6631-ज एन-I-66/10751, दिनांक 8 जून, 1966 तथा 5041-र-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की गई थी रबी, 1975 से मंसूख की जाती है।